

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के पत्र संख्या-रा0बा0अ0/146/75/कोविड/2022-23, दिनांक 04.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में तथा भीषण गर्मी के कारण वर्तमान में प्राइमरी विद्यालयों में ग्रीष्म कालीन अवकाश होने के दृष्टिगत जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भी उक्त अवधि तक ग्रीष्म कालीन अवकाश तत्काल प्रभाव से घोषित किया जाता है। किन्तु अवकाश अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं द्वारा लाभार्थी परक सेवाएं यथा-समुदाय आधारित गतिविधियां, सूखा राशन वितरण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, गृह भ्रमण व अन्य गतिविधियां सम्पादित की जाएगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
शामली

कार्यालय: जिलाधिकारी, शामली

पत्रांक: C-154 / जि0का0अ0 / आ0बा0के0 / 2022-23 दिनांक 01.06.2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिला सूचना अधिकारी शामली को इस निर्देश के साथ कि उक्त घोषित अवकाश को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, शामली।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अनुपालनार्थ।

↓
जिलाधिकारी
शामली